website-www.akdchardoi.co.in
email.akm.hardoi@gmail.com

ओ३म्

☎ : 05852-232151

आर्य समाज, हरदोई
आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई

(सम्बद्ध : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0)

पत्रांक : ..... दिनाँक : .....

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

आर्य कन्या महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले में अवस्थित है। हरदोई के नगरीय एवं समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु आर्य समाज की नीतियों, उद्देश्यों के अनुरूप आर्य मनीषियों द्वारा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 में की गयी। महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य कन्याओं का सर्वागींण विकास करते हुए उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रसार एवम् तत्व सम्बन्धी योग्य वातावरण का निर्माण करना व सत्य की जानकारी कराकर तद्नुसार उन्हें व्यवहार में दीक्षित करना है। वर्ष 1970 से महाविद्यालय अनवरत इसी उददेश्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयासरत है। यह महाविद्यालय जनपद का एक मात्र अनुदानित कन्या महाविद्यालय है। उत्कृष्टता, सर्वांगीण विकास एवम् सर्वसुलभ शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह महाविद्यालय प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में महाविद्यालय का NAAC द्वारा मूल्यांकन भी वर्ष 2016 में कराया जा चुका है। महाविद्यालय का शैक्षणिक स्तर, अनुशासन व परीक्षाफल सदैव उत्तम एवम् उच्च कोटि का रहा है। सभी विभागों में विषय विशेषज्ञ योग्य प्राध्यापिकायें है। वर्ष 1970 से स्थापित महाविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध है तथा सत्र 2021–22 हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर ली है। नयी शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप महाविद्यालय (संशोधित) पाठ्यक्रम द्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता धारित करता है।

आर्य कन्या महाविद्यालय : एक दृष्टि

- राष्ट्र निर्माण में शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयासरत।
- शैक्षिक सामंजस्यता, एकरूपता एवम् जवाबदेयता जैसे मूल्यों का प्रसार।
- समतामूलक समाज के निर्माण व छात्राओं के सर्वागीण विकास हेतु पाठ्येत्तर क्रियाकलापों से आत्म विश्वास जाग्रत करने हेतु तत्पर।
- छात्राओं में सहिष्णुता एवम् मानवीय मूल्यों के प्रसार हेतु प्रयासरत।
- छात्राओं में बौद्विक एवं सृजनात्मक क्रियाशीलता का प्रसार।
- सहयोगात्मक, आलोचनात्मक, चिन्तन वातावरण द्वारा मानवीय मूल्यों का सृजन।

आर्य कन्या महाविद्यालय : हमारा लक्ष्य

- उच्च मानवीय मूल्यों एवम् गुणात्मक शिक्षण द्वारा राष्ट्र सेवा में तत्पर।
- हमारा यह निरन्तर प्रवाहकीय प्रयास है न कि सिर्फ शैक्षिक उत्कृष्टता का वातावरण बनाया जाये वरन छात्राओं में उच्च मानवीय मूल्यों व चरित्र निर्माण पर भी बल प्रदार किया जाये।
- छात्राओं के शारीरिक–मानसिक विकास हेतु शिक्षण अधिगम के नवाचारी साधनों का प्रयोग।
- गुणात्मक शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख।
- स्वः मूल्यात्मकता से छात्राओं को आत्मावलोकरन के अवसर प्रदान करना।

- भौतिक शिक्षण के साथ–साथ अध्यात्मिक मूल्यों, विचारों, आदतों के उन्नयन पर बल।
- समाज में प्रभावी भूमिका के निर्माण हेतु छात्राओं का चारित्रिक विकास शिक्षण–अधिगम में समावेशी शिक्षा पद्वति से।

आर्य कन्या महाविद्यालय : हमारा उद्देश्य

- छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।
- छात्राओं में आलोचनात्मक चिन्तन का विकास कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना।
- छात्राओं को सर्वोत्मुख एवम् समावेशी नवीन स्वरूप का ज्ञान कराना।
- गुणात्मक शिक्षण को प्रोत्साहन।
- सृजनात्मक अन्वेषण द्वारा समावेशी, प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास।
- व्यावसायिक, मानवीय एवम् सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु समयानुकूल पाठ्यचर्या में शिक्षण।

आर्य कन्या महाविद्यालय : प्रवेश प्रक्रिया

- प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तर प्रदेश शासन, विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम व महाविद्यालय के समस्त नियम मान्य होगें।
- गैप प्रमाण पत्र : यदि इण्टरमीडियट के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का (10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटैरी द्वारा निर्गत) शपथ–पत्र प्रवेश के समय जमा करें।
- यदि आप आरक्षण (Reservation) का लाभ चाहते है तो सम्बन्धित प्रमाण–पत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को भारण या आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी।
- वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के है तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
- जाति तथा आय प्रमाण पत्र सरकारी बेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा। तहसीलदार/सक्षम अधिकारी के जाति प्रमाण पत्रों को ही आरक्षण हेतु अर्ह माना जायेगा।

- महाविद्यालय में स्नातक में उपलब्ध विषयों में बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए अभ्यर्थी को तीन विषयों का चयन करना है।
- सामान्यतः स्नातक प्रवेश हेतु केवल हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के विषयों में ही चयन किया जायेगा। अन्य विषय स्वीकार्य नहीं होंगे।
- चयन हेतु साहित्य विषय गुप ए, गुप बी,, ग्रप सी में से अधिकतम दो विषयों का ही चयन किया जा सकता है।
- ग्रुप डी एवम् ग्रुप ई में से केवल एक ही विषयों के चयन करना है। अन्य शेष विषयों के चयन हेतु प्रत्येक ग्रुप से केवल एक ही विषय का चयन करना है।

✡ ग्रुप ए	–	हिन्दी साहित्य
✡ ग्रुप बी	–	अंग्रेजी साहित्य
✡ ग्रुप सी	–	संस्कृत साहित्य
✡ ग्रुप डी	–	हिन्दी भाषा/अंग्रेजी भाषा (केवल एक विषय)
✡ ग्रुप ई	–	भूगोल/संगीत (गायन) (केवल एक विषय)
✡ ग्रुप एफ	–	अर्थशास्त्र
✡ ग्रुप जी	–	राजनीति विज्ञान
✡ ग्रुप एच	–	समाजशास्त्र
✡ ग्रुप आई	–	शिक्षाशास्त्र
✡ ग्रुप जे	–	शारीरिक शिक्षा

- बी0ए0 प्रथम वर्ष की छात्रायें दो से अधिक सहित्य और प्रयोगात्मक विषय नहीं ले सकेगीं।
- इण्टरमीडिएट अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं OBC वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी का ही प्रवेश लिया जायेगा।
- बी0ए0 द्वितीय वर्ष में किसी विषय में 35 प्रतिशत से कम अंक पाने वाली छात्राओं को बी0ए0 तृतीय वर्ष में वह विषय नहीं दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश फार्म में अपने अभिभावक व स्वयं का फोन नं0 ऐसा दें जो सदैव चालू स्थिति में रहे जिससे आवश्यक सूचनायें महाविद्यालय से दी जा सकें।
- UGC की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से दी जानी है, अतः प्रत्येक छात्रा द्वारा Internet युक्त फोन नं0 दिया जाना अनिवार्य है।
- प्रत्येक छात्रा द्वारा e-mail-id भी दी जाना अनिवार्य है।
- प्रवेश फार्म में Whitener का प्रयोग वर्जित है।
- शारीरिक शिक्षा विषय लेने के लिए शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना अनिवार्य है।
- प्रवेश प्रक्रिया तथा तिथि सम्बन्धी सूचनायें समय–समय पर सूचना पट्ट पर देखती रहे। व्यक्तिगत रूप से किसी भी अभ्यर्थिनी को सूचना देना सम्भव नहीं होगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

- सभी प्रवेश आवेदन पत्र कालेज के निर्धारित प्रपत्र पर ही भरे जायेगे। उसमें पूर्ण जानकारी देना आवश्यक होगा।
- अपूर्ण प्रवेश फार्म पर कोई विचार नहीं होगा।
- अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों का चयन सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए कैरियर काउन्सलिंग सेवा की शिक्षिकाओं की सम्मति ले सकती हैं।
- प्रवेश के समय एक बार स्वीकृत विषयों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश मेरिट के लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय के नियम मान्य होगें।
- केवल वर्ष 2021 में इण्टरमीडिएट व समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रवेश के लिए अर्ह माना जायेगा। सीट रिक्त होने पर ही गैप ईयर का प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश दिया जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के अंकपत्रों व प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियों को लगाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र में लगायी जाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो स्वहस्ताक्षरित होगी।
- इण्टरमीडिएट के समान अंकों वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची उनके हाईस्कूल के अंकों/ग्रेड के आधार पर निर्धारित होगी।
- आर्थिक रूप से पिछड़ी वे छात्रायें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति में आच्छादित नहीं हो रही है वे तहसीलदार का प्रमाण पत्र लगाने पर ही आर्थिक पिछड़े वर्ग का लाभ पाने हेतु अर्ह होंगी।

प्रवेश हेतु भारण एवं आरक्षण नीति

- आरक्षण/Reservation
  सभी आरक्षण राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिये जाएगे।
- अनुसूचित जाति (Seheduled Caste) 21 %
- अनुसूचित जनजाति (Scheduled tribe) 2 %
- अन्य पिछड़ा वर्ग का (नॉनकीमी लेयर) (OBC) 27 %
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) 10 %
  (केवल सामान्य श्रेणी हेतु)

भारण/Weightage

- उत्कृष्ट खिलाड़ी अहर्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 प्रतिशत
- एन0सी0सी0 का ''बी'' सर्फीफिकेट धारक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 2.5 प्रतिशत
- विकलांगों के लिए (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए) 5%
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री के लिए 2%
- सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों अर्थवा शारीरिक रूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए 5%

नोट :-

- ❑ आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।
- ❑ कुल वरीयता अंको (भारण) का योग 10 प्रतिशत भारांक से अधिक नहीं होगा।

-: आवश्यक प्रपत्र :-

☞ प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल तथा छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा :–

- आवेदन पत्र 02 प्रतियों में
- 2 पॉसपोर्ट युक्त फोटो
- हाईस्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र
- इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र
- आरक्षण सम्बन्धी कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्र
- भारण (Weightege) सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- आधार कार्ड की छायाप्रति

ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा –

- ◆ जो गत वर्ष किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुकी हो।
- ◆ जो अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी पायी गयीं हो।
- ◆ जो किसी आपराधिक मामलों में सजा पा चुकी हों अथवा जिस पर कोई अभियोग चल रहा हो या जिसका आचरण संदिग्ध हो।
- ◆ अनियमित रूप से प्रवेश प्राप्त कर लेने पर अथवा प्रवेश सम्बन्धी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा
- ◆ किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने का अधिकार प्राचार्या के पास सुरक्षित होगा।
- ◆ कक्षायें आरम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रा को विषय की शुल्क रसीद/बैंक जमा पर्ची दिखाकर विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

चेतावनी

- ❄ महाविद्यालय में किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्या का होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी या उसके अभिभावक को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- ❄ किसी भी स्थिति में प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन विश्वविद्यालय नियमों के अधीन होगा।
- ❄ यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं अथवा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटिवश प्रवेश पाता है तो जिस समय भी ये तथ्य उद्घाटित होगे तो यह उसका दुष्कृत्य माना जायेगा एवं उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही शून्य माना जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

- यदि विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय के शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा पहुॅचाई जाती है या महाविद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो महाविद्यालय प्रशासनिक एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है जिससे उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और न ही इसके लिए उसको माननीय न्यायालय की शरण में जाना वांछित होगा।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी रूप से रैगिंग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित है। यदि कोई भी विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पायी जाती हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं उसका प्रवेश तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार हेतु उपस्थिति अनिवार्य है।
- अनुचित साधन/अनुशासनहीनता के कारण छात्रओं को प्रदत्त सुविधाओं से वंचित करने का अधिकार प्राचार्या को होगा।

आवश्यक निर्देश

- प्रत्येक छात्रा को नियमित रूप से महाविद्यालय में आना अनिवार्य है। उनकी 75 प्रतिशत उपस्थिति सभी अध्ययन विषयों में होनी आवश्यक है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा देने से रोका जा सकता है। लगातार तीन माह न्यूनतम अनुपस्थिति के कारण महाविद्यालय से नाम काटा जा सकता है एवं महाविद्यालय की अन्य गतिविधियों में भाग लेने व सरकारी छात्रवृत्ति से वचिंत किया जा सकता है।
- एक ही कक्षा में लगातार दो वर्षों तक निरन्तर नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- महाविद्यालय प्रशासन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय के नियमों में परिवर्तन कर सकता है जो कि प्रत्येक विद्यार्थी एवं उसके अभिभावक को मान्य होगा।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था और अनुशासन में प्राचार्या का निर्णय अन्तिम होगा। किसी को भी उसके निर्णय के विरूद्ध आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
- वह सभी बाते जो कि इस विवरण पुस्तिका में नहीं है अथवा अस्पष्ट है उसके लिए प्राचार्या का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- कार्यालय या पुस्तकालय या किसी अन्य स्थान पर मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- शिक्षण कार्य के अतिरिक्त महाविद्यालय में मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- सभी छात्रायें कालेज की सूचना पट्ट पर लगी सूचनाओं को प्रतिदिन पढ़ेगी व तदानुकूल आचरण करेंगी।
- महाविद्यालय में पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
- महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न सूचनायें समय–समय पर लाउडस्पीकरण द्वारा भी प्रसारित की जाती है जिन पर अमल करना छात्राओं का कर्तव्य होगा, सूचनाओं से अनभिज्ञता हेतु छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगी।

- सभी छात्रायें कालेज के अन्दर व बाहर कालेज के सम्मान के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेंगी। अनुशासन भंग करने पर छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है, जिसका समस्त दायित्व छात्रा का होगा।
- महाविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा करना प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य होगा। इसकी हानि पर व्यक्तिगत या सामूहिक दण्ड दिया जायेगा। महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होते हुए भी यदि छात्रायें शिक्षण कक्षाओं में अनुपस्थित पायी जाती है तो उन्हें दण्डित किया जायेगा। जिसकी सूचना उनके अभिभावक को दूरभाष द्वारा दी जायेगी।
- पंखा, बल्व आदि बिजली के उपकरणों को प्रयोग के उपरान्त तत्काल बन्द किया जायेगा।
- छात्रायें पानी की टोंटी खुली नहीं छोड़ेगी।
- परिसर में किसी प्रकार की गन्दगी फैलाना सख्त मान है, कूड़ा केवल कूड़ेदान में ही डाले। खाद्य पदार्थों के प्रयोग के उपरान्त अवशेष कूड़ेदान में ही डाले, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है कोई भी छात्रा गेट के सामने, पैसेज व कक्षों के सामने अनावश्यक रूप से खड़ी नहीं होगी।
- खाली समय में केवल कॉमन रूम अथवा पुस्तकालय व वाचनालय में शान्ति से बैठकर अपना काम करेगी।

परिचय पत्र :-

- प्रत्येक छात्रा को कालेज अनुशासक द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र रखना अनिवार्य है। यह पत्र प्रवेश लेने पर छात्र को मिलेगा जिसमें निर्देशित नियमों, लिखित सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए छात्रायें आवश्यक प्रपत्र भरेंगी एवं पासपोर्ट साईज की फोटो चिपकाकर सम्बन्धित अनुशासक से सत्यापित व हस्ताक्षर करायेंगी। **बिना परिचय पत्र महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है।**

-: अनुशासन मण्डल व नियम :-

- कालेज की उच्च स्तरीय अनुशासन व्यवस्था हेतु एक अनुशासन समिति का गठन प्रचार्या की देखरेख में होता है। जिसमें एक शिक्षिका मुख्य अनुशासन तथा दो शिक्षिकायें अनुशासक के रूप में होती हैं व तीनों कक्षाओं से दो–दो छात्रा प्रतिनिध भी सदस्य के रूप में मनोनीत की जाती है। अनुशासक मण्डल प्राचार्या को समय–समय पर अनुशासन सम्बन्धी परामर्श देगा। कालेज की छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासनहीनता के सब मामलों एवं तथ्यों से अनुशासन मण्डल को तुरन्त अवगत करायेंगी तथा उच्च स्तरीय अनुशासन की स्थापना में पूर्ण सहयोग देंगी। अनुशासन समिति रैगिंग सम्बन्धी समस्याओं का भी समाधान करती है।

-: <u>महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश (ड्रेस)</u> :-

- महाविद्यालय का गणवेश लाल चारखाने पूरी बॉह का तथा गोल कॉलर गले का कुर्ती 3/4 अथवा श्वेत फुल अस्तीन सलवार का दुपट्टा अथवा लाल चारखाने का ब्लाउज व श्वेत साड़ी तथा काला जूता व सफेद मोजा है।
- शीतकाल में उपरोक्त गणवेश के साथ काला स्वेटर एवं काले जूते व सफेद मोजे पहनना आवश्यक है।

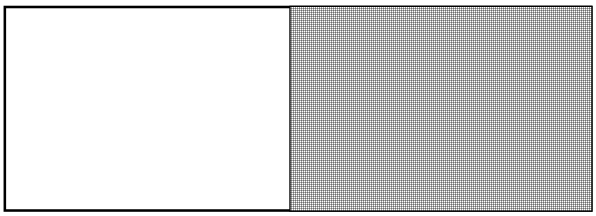

नोट :–उत्तर प्रदेश शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वृद्धि किये जाने की स्थिति में छात्रा को बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। शुल्क समबन्धी समस्त सूचनाएं सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जायेंगी। एक बार शुल्क जमा हो जाने के पश्चात् न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक बैंक में पूरा शुल्क जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

नवीनतम शिक्षण व्यवस्था :- छात्राओं के व्यवहारिक व स्थायी ज्ञान हेतु दृष्य–श्रव्य सामग्रियों, प्रोजेक्टर आदि आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टरह केक माध्यम से विभिन्न विषयों से समबन्धित दुर्लभ शैक्षणिक भ्रमण नवीनतम शैक्षणिक प्रवृत्तियों, शैक्षणिक उपकरणों, e-content की जानकारी प्राप्त करना, तकनीकी आदि से छात्रा लाभान्वित होती है। कार्य दिवसों में छात्राओं एवं शिक्षिकाओं हेतु कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है।

बेसिक कम्प्यूटर लिट्रेसी कोर्स :- महाविद्यालय में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर व सभी नवीनतम सुविधाओं जैसे इन्टरनेट, वाई–फाई आदि से सुसज्जित आधुनिकतम् कम्प्यूटर प्रयोगशाला है। महाविद्यालय में एड–ऑन कोर्स के अर्न्तगत बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जो बी0ए0 प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं के लिए अनिवार्य है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :- महाविद्यालय में एक उत्तम पुस्तालय के साथ ही वाचनालय भी है जिसमें विभिन्न दैनिक अखवार, पत्र–पत्रिकायें नियमित रूप से मंगाये जाते है जिनका उपयोग करके छात्रायें लाभान्वित होती है।

मासिक परीक्षा :- आन्तरिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए महाविद्यालय की सभी छात्राओं की विषयवार मासिक परीक्षा ली जायेगी, जिसमें सभी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय परीक्षा पूर्व फरवरी माह में मासिक परीक्षा विद्यालय परीक्षा प्रणाली के आधार पर आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में सभी छात्राओं का उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

चिकित्सा सुविधा :- सत्र में एक बार जिला चिकित्सालय की महिला चिकित्सकों द्वारा समस्त छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है। अन्य चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु महाविद्यालय के **डा0 तिरूपति आनन्द, डा0 आशिमा आनन्द** है।

पाठ्य सहगामी क्रियायें :-

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना :-** महाविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना की एक यूनिट की सुविधा प्राप्त है, जिसमें छात्राओं के विकास हेतु समाज कल्याण सम्बन्धी विविध कार्य कराये जाते हैं।
2. **रेन्जर्स कोर्स :-** महाविद्यालय में रेन्जर्स प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
3. **युवा महोत्सव :-** महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक युवा महात्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें छात्रायें विविध क्रीड़ा प्रतियोगिताओं, शैक्षिक व सांस्कृति कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती है व पुरस्कृत होती हैं।
4. **सांस्कृतिक सभा :-** छात्राओं में बहुमुखी प्रतिभा के विकास हेतु सांस्कृतिक सभा प्रभारी के निर्देशन में इस सभा का गठन किया जाता है, जिसमें छात्रायें स्वयं पदाधिकारियों का चयन करती है। इसके माध्यम से छात्रायें समय–समय पर यज्ञों, महापुरूषों की जयन्तियों, महत्वपूर्ण दिवयों, ज्ञानवर्धक विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान आदि आयोजित करती हैं।

विभागीय परिषदे :- प्रचार्या के संरक्षण में सभी विभागीय परिषदों का गठन भी महाविद्यालय में किया जाता है। प्रत्येग विभाग की विभागाध्यक्ष उसकी प्रभारी होती है। सभी छात्रायें इसकी सदस्य होगी व विभागीय गतिविधियों में प्रतिभाग करेगी।

मनीषा पत्रिका :- छात्राओं के साहित्यिक व शैक्षणिक अभिरूचि के विकास के उद्देश्य से महाविद्यालय में मनीशा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में छात्राओं द्वारा रचित निबन्ध लेख, कहानी आदि प्रकाशित किये जाते हैं।

भूतपूर्व छात्रा परिषद :- सत्र 2011–12 में भूतपूर्व छात्रा परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद द्वारा समय–समय पर महाविद्यालय में छात्राओं हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह परिषद महाविद्यालय व छात्रहित में निरन्तर कार्यशील रहती है।

अन्य सुविधायें :- महाविद्यालय में वाटर कूलर, जनरेटर, सभी शिक्षण कक्षों में इनवर्टन की सुविधा उपलबध है।

महिला सेल :- महाविद्यालय में महिला सेल का भी गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत महिला सम्बन्धी विभिन्न विषयों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श व समस्या समाधान किया जाता है। छात्राओं को व्यक्तिगत सलाह भी दी जाती है।

महाविद्यालय बेबसाइट :- WWW Portal महाविद्यालय बेबसाइट **www.akdchardoi.co.in** है जिस पर महाविद्यालय सम्बन्धी विभिन्न जानकारियों के साथ–साथ विषयों से सम्बन्धित E-Contant भी उपलब्ध है जिससे छात्रायें लाभान्वित होती है।

लिंग साम्य जागरूकता अभियान :- शासन के निर्देशानुसार महिला जागरूकता के उद्देश्य से यह अभियान महाविद्यालय में गत 6 वर्षों से चल रहा है।

अभिभावक संघ :- महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनके अभिीावकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए इस संघ का गठन किया गया है, जिसमें जागरूक अभिभावकगण स्वयं संघ के पदाधिकारियों का चयन करते है व अपने सुझावों से लाभान्वित करते हैं।

व्यवसायपरक परामर्श प्रकोष्ठ :- गत वर्षों से महाविद्यालय की छात्राओं को व्यवसाय सम्बन्धित दिशा निर्देशन हेतु इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके तत्वाधान में विशेषज्ञों को समय–समय पर आमंत्रित कर छात्राओं के लाभ कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :- महाविद्यालय में छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गयी है। महाविद्यालय परिसर में एक शिकायत व सुझााव पेटी टाँगी जाती है, जिसमें छात्रायें अपनी समस्यायें लिखकर डाल सकती है। प्रशासन द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया जाता है।

नोट :- सभी विभागों की प्रीाारी प्राध्यापिकाओं के नाम विवरणिका में उल्लिखित है। कार्यक्रमों में प्रतिभाग की इस छात्रायें सम्बन्धित प्राध्यापिकाओं से सम्पर्क कर सकती है।

महाविद्यालय परिवार

प्राध्यापिका वर्ग

1.	डॉ0 सुमन वर्मा– एम0एस0सी0 (रसायन शास्त्र) एम0एड0 पी0एच0डी0	प्राचार्या, एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)
2.	श्रीमती नीता आर्या– एम0ए0 (समाजशास्त्र)	एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
3.	डॉ0 उमा रानी श्रीवास्तव– एम0ए0 (हिन्दी) पी0एच0डी0	एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी)
4.	डॉ0 सरिता यादव–एम0पी0एड.0, पी0एच0डी0	एसोसिएट प्रोफेसर (शारीरिक शिक्षा)
5.	डॉ0 अन्जू–'एम0ए0–(राजनीति विज्ञान) पी0एच0डी0	एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति शास्त्र)
6.	कु0 श्वेता यादव–एम0ए0 (समाजशास्त्र)	असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
7.	डॉ0 स्मृति सिंह–एम0ए0 (अंग्रेजी) पी0एच0डी0	असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेजी)
8.	श्रीमती जायरा जैदी–एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र)	असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)
9.	अर्थशास्त्र (01)	प्रवक्ता प्रतीक्षित / प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त
10.	भूगोल (02)	प्रवक्ता प्रतीक्षित / प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त
11.	संगीत (गायन) (02)	प्रवक्ता प्रतीक्षित / प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त
12.	हिन्दी (02)	प्रवक्ता प्रतीक्षित / प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त
13.	संस्कृत (01)	प्रवक्ता प्रतीक्षित / प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त

–: पुस्तकालय :–

1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	पद रिक्त

–: कार्यालय :–

1.	श्रीमती आरती पाठक–बी0एस0सी0, बी0लिब,एम0ए0 (दर्शनशास्त्र)	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री राम कुमार – एम0ए0 (भूगोल)	रूटीन लिपिक
3.	सामान्य लिपिक	पद रिक्त
4.	तबला वादक	पद रिक्त

–: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :–

1.	राजेश कुमार शुक्ला	–	चपरासी
2.	श्री राजेन्द्र	–	सफाई कर्मचारी
3.	श्री राजेश कुमार	–	चपरासी
4.	श्री मनोज कुमार	–	चपरासी
5.	दफ्तरी	–	पद रिक्त
6.	महेश नाथ	–	चौकीदार
7.	पानी वाला	–	पद रिक्त
8.	माली	–	पद रिक्त

शिक्षिकाओं के शिक्षण सत्र 2021–22 में एकेडमिक व प्रशासनिक प्रभार

1.	डॉ0 सुमन वर्मा	1. आन्तरिक गुणवत्त प्रकोष्ठ–प्रभारी 2. MHRD (AISHE) –प्रभारी 3. IT SAVVY 4. संगीत विभाग
2.	श्रीमती नीता आर्या	1. भवन निर्माण एवं मरम्मत समिति–सदस्या 2. NAAC –प्रभारी 3. Mentoring एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ–प्रभारी 4. रोजगार एवं सलाहकार प्रकोष्ठ–प्रभारी 5. अभिभावक संघ–प्रभारी 6. मनीषा पत्रिका–हिन्दी विभाग सहायिका
3.	डॉ0 उमा रानी श्रीवास्तव	1. प्रवेश समिति B.A. II, B.A. III –प्रभारी 2. मनीषा पत्रिका–प्रभारी 3. मनीषा पत्रिका हिन्दी व संस्कृत विभाग–सम्पादिका 4. भूतपूर्व छात्रा परिषद–प्रभारी 5. काण्ठोपकरण व लौहउपकरण–प्रभारी 6. उद्योग एकेडमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ–प्रभारी
4.	डॉ0 सरिता यादव	1. प्रवेश समिति B.A. I –प्रभारी 2. अनुशासन समिति–प्रभारी 3. UGC योजना परिषद–प्रभारी 4. क्रीड़ा एवं चिकित्सा समिति–प्रभारी 5. बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता–प्रभारी 6. भूगोल विभाग–प्रभारी
5.	डॉ0 अन्जू	1. प्रवेश समिति B.A. I –सदस्या 2. अनुशासन समिति–सदस्या 3. शासकीय छात्रवृत्ति–सदस्या 4. महाविद्यालय वेबसाइट–प्रभारी 5. सांस्कृतिक सभा–प्रभारी 6. महाविद्यालय गतिविधियों व प्रेस विज्ञप्ति संकलन–प्रभारी
6.	कु0 श्वेता यादव	1. राष्ट्रीय सेवा योजना–प्रभारी 2. छात्रा सहायता एवं कल्याण समिति–प्रभारी 3. सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन–प्रभारी 4. शासकीय छात्रवृत्ति–सदस्या 5. COVID HELP DESK –प्रभारी 6. स्वच्छ एवं हरित महाविद्यालय–प्रभारी 7. साइकिल स्टैण्ड–प्रभारी
7.	श्रीमती ज़ायरा ज़ैदी	1. प्रवेश समिति B.A. II, B.A. III –सदस्या 2. रेन्जर्स रोवर्स–प्रभारी 3. मतदाता जागरूकता–प्रभारी 4. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–प्रभारी 5. आन्तरिक परिवाद समिति–प्रभारी 6. लिंग साम्यता एवं जागरूकता अभियान–प्रभारी 7. कैन्टीन समिति–प्रभारी
8.	डॉ0 स्मृति सिंह	1. प्रवेश समिति B.A. I – सदस्या 2. अनुशासन समिति – सदस्या 3. पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति–प्रभारी 4. Activity Club – प्रभारी 5. महिला सेल–प्रभारी 6. Social Media – प्रभारी 7. मनीषा पत्रिका–अंग्रेजी विभाग व हिन्दी विभाग–सहायिका